N.T.T.

Sd/- Deputy Secy. (Rev.)
to the Government of H.P.

No. 9-13/71-Rev. Dated: Shimla-2, the 19th July, 1978.

Copy forwarded to the Deputy Commissioner, Shimla District, Shimla-1. He is informed that the grant of nautor land under Nautor Rule 27-B (Twentyseven-Bee) (Juxtapose) has been stayed till further orders.

Sd/- Deputy Secretary (Revenue)
to the Government of Himachal Pradesh.

सं॰ 9-13/71-रैव-बी (1)
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व (ब) विभाग
दिनांक शिमला-2 29/11/78

प्रेषक :

अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

विषय :- नौतोड़ भूमि का दिया जाना ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21 अगस्त, 1976 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि मामला का पुनरीक्षण करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि स्पिति उप-मण्डल में नौतोड भूमि देने पर लगाई गई रोक को हटा दिया जाये । अतः आपसे अनुरोध है कि आगामी कार्यवाही इसी अनुसार की जाए ।

भवदीय,
हस्त/-
अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

सं॰ 9-13/71-रैव-बी (1) दिनांक 29-11-78

प्रतिलिपि

1॰ उपायुक्त, लाहौल तथा स्पिति जिला, किलोंग (हिमाचल प्रदेश) को सूचनार्थ प्रेषित ।

2॰ उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) स्पिति उप-मण्डल, काजा, जिला लाहौल स्वम् स्पिति (हिमाचल प्रदेश) को सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ता/-
अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या 9-13/71-रैव-बी
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व (ब) विभाग

प्रेषक:

सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला-2 27-6-1979॰

विषय :- नौतोड़ में भूमि का स्वीकार करना ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक, 21 अगस्त, 1976 के पैरा-2 के संदर्भ में स्पष्टीकरण करने का आदेश हुआ है कि 21-6-1976 से पहले ही के अवैध कब्जे नियमित किये जा सकते हैं परन्तु इसमें शर्त यह होगी कि इस पत्र के जारी होने के दो मास की अवधि के भीतर तक प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों पर छानबीन से जो मकान, दुकान इत्यादि मुकम्मल हुए पाये जाएँ ऐसे ही कब्जे नियमित किये जावें ।

यह भी ध्यान रखा जाये कि शामलात भूमि जो सरकारी हो गई है उसमें यदि रिहायशी मकान व गोशाला हिमाचल प्रदेश विलेज कामन लैंड वैस्टिंग व यूटिलाईजेशन एक्ट, 1974 के लागू होने से पहले ही तैयार किए जा चुके हैं, उनके नीचे की भूमि का तबादला नहीं लिया जाता है क्योंकि उपरोक्त एक्ट की धारा 3(2) के अन्तर्गत ऐसी भूमि सरकारी नहीं बनी ।

इस विषय में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि ऐसे कब्जों को नियमित करने हेतु प्रार्थना पत्र दो मास के भीतर प्राप्त हो जाएँ तथा उन्हें शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जा सके ।

कृपया पावती भेजें ।

भवदीय,
हस्ता/-
अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या रैव-बी-9-13/71
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व (ख) विभाग

दिनांक शिमला-2 10-12-1979.

प्रेषक:

अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

विषय :- नौतोड़ रूल-27-बी के अन्तर्गत दी गई भूमि पर रिवियू, रिविजन व अपीलों पर स्थगन आदेश ।

महोदय,

मुझे इस विभाग की समसंख्यक तार दिनांक 19.7.78 का क्रम जारी रखते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि यह आदेश रिवियू, रिविजन व अपीलों पर भी लागू होंगे अर्थात् नौतोड़ नियम 27-बी के अन्तर्गत दी गई भूमि में रिव्यू, रिविजन व अपीलों की सुनवाई अगले आदेशों तक स्थगित रहेगी ।

कृपया पावती भेजें ।

भवदीय,
हस्ता/
उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिलिपि मण्डल आयुक्त, शिमला व कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित है ।

हस्ता/
उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश